न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—112 / 12 (2012 / 00073) वाद पत्र

उनवान

1—अमरचन्द पिता ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—नारायण पिता ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—उगमी पुत्री ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4—नन्दु बैवा ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—मोहनदास पिता लेहरूदास बैरागी निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—प्रहलाददास पिता लेहरूदास बैरागी निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—हीरादास पिता लेहरूदास बैरागी निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4—बैक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक

5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 05.08.2020

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शिवनाथपुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खातेदार चम्पा पिता कालु जाट, भंवर पारस पिता बक्षु जाट, ज्वारा पिता केला जाट के खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी सख्या 314 / 2 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित थी। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता लेहरूदास पिता जगन्नाथ दास की साबिक आराजी संख्या 314 रकबा 5 बीघा व साबिक आराजी संख्या 314 / 3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसे साबिक नक्शे में दर्ज आराजी नम्बर 313 जो गे.मु. नाला है के पूर्व दिशा की तरफ दर्शा रखा है। तथा वादीगण की साबिक आराजी संख्या 314 / 2 को नाले के पूर्व दिशा की ओर साबिक नक्शे में फीट कर रखा है। वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही उक्त साबिक आराजियात पर काश्त करते चले आ रहे थे प्रमाण नकल जमाबन्दी साथ प्रंस्तुत की है। भू प्रबन्ध होने पर वादीगण की साबिक आराजी संख्या 314 / 2 के नवीन नम्बर 394 रकबा 1.08 है0 तथा प्रतिवादीगण की आराजी सख्या 314 / 3 व 314 के नवीन नम्बर 395 रकबा 1.62 है0 कायम हुए सेटलमेन्ट से पूर्व प्रतिवादीगण की दोनो साबिक आराजियात का रकबा भी अलग अलग था लेकिन नवीन नम्बर में 1 ही कायम किया गया। वादीगण की साबिक आराजी संख्या 314 / 2 रकबा 5 बीघा को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार फीट नही किया है भू प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण

के नवीन नक्शे में बिना मौके पर जांच किये नवीन आराजी संख्या 394 रकबा 1.08 है0 फीट कर दिया जो गलत है। जिसे दुरस्त कराने हेतु पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लकिन दुरूस्ती नही हो पायी जिससे वादीगण को यह वादपत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। नवीन नक्शे में वादीगण की नवीन आराजी संख्या 336 से सटमा फीट कर दिया है जबकि साबिक नक्शे में वादीगण की साबिक आराजियात के पश्चिम में प्रतिवादीगण की साबिक आराजियात स्थित थी जिसे पुनः साबिक नक्शे के अनुरूप दर्ज कराने के वादीगण अधिकारी है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादीगण की साबिक आराजी संख्या 314/2 जिसके नवीन नम्बर 394 रकबा 1.08 है0 को साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में तरमीम की जावे। एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 05.12.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही है अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 फोरमल पक्षकार होने से कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली है। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम शिवनाथपुरा में वर्तमान रेकार्ड में आराजी नम्बर 394 रकबा 1.08 है0 वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है इस आराजियात के दक्षिण में आराजी नम्बर 395 रकबा 1.62 है0 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है मौके पर उक्त आराजियात के पश्चिम में आराजी नम्बर 336 गे.मु. नाला बिलानाम स्थित है। मौक पर प्रतिवादीगण ने आराजी नम्बर 395 में काश्त कर रखी है एवं वादीगण की आराजी नम्बर 394 पड़त है। वादीगण का कब्जा आराजी नम्बर 395 की उत्तरी मेड़ की तरफ करीब 0.20 है0 जो मौके पर पड़त पड़ा हुआ है मौक पर उपस्थित वादीगण ने बताया कि रकबे पर हम आवंटन के पश्चात से ही काबिज है। इस प्रकार प्रतिवादीगण का कब्जा बिलानाम आराजी नम्बर 336 के सहारे वादीगण की आराजी नम्बर 394 में करीब 0.20 है0 भूमि मे आता है। वादीगण सेटलमेन्ट से पूर्व नक्शानुसार एवं मौके पर कब्जा स्थिति अनुसार रेकार्ड व नक्शे में दुरस्ती चाहते है।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि वादीगण की साबिक आराजी नम्बर 314/2 रकबा 5 बीघा भूमि एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता लेहरूदास के नाम दर्ज साबिक आराजी नम्बर 314 एवं 314/3 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा स्थित थी जो

दोनो नम्बर अलग अलग स्थित थे और वादीगण की आराजी नम्बर अलग स्थिति में दर्ज रेकार्ड थी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण की आराजी नम्बर 314/2 के नवीन नम्बर 394 रकबा 1.08 है0 कायम किये गये जो नाले से सटमा पूर्व की ओर एवं प्रतिवादीगणो के आराजी नम्बर 314/3 व 314 के नवीन आराजी 395 के उत्तर की तरफ फीट कर दिया जबकि मौके वादीगणो का कब्जा साबिक नम्बरान अनुसार नवीन आराजी नम्बर 395 में आता है ओर प्रतिवादीगणो का कब्जा वादीगणो की आराजी नम्बर 394 के दक्षिणी पश्चिमी नाले के पास स्थित है जो साबिक़ नक्शे अनुसार दोनो पक्ष काबिज है मौके पर इस बाबत् कोई विवाद नही है ऐसी स्थिति मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के साबिक नक्शे अनुसार नवीन नक्शे मे भी नम्बर को दुरस्त कराया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम शिवनाथपुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में स्थित आराजी नम्बर 395 रकबा 1.62 है0 मे से उत्तरी पूर्व की ओर रकबा 0.20 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है और इस रकबे के अनुपात में वादीगण की आराजी नम्बर 394 रकबा 1.08 है0 मे से आराजी नम्बर 395 के उत्तरी पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर नाले के सहारे सहारे प्रतिवादीगण के कब्जे को मध्यनजर रखते हुए 0.20 है0 भूमि कमी की जाकर प्रतिवादीगणो के नाम दर्ज की जावे। और साबिक नक्शे और मौके को ध्यान में रखते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5-8-2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–112 / 12 (2012 / 00073) वाद पत्र

उनवान

1–अमरचन्द पिता ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–नारायण पिता ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–उगमी पुत्री ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–नन्दु बैवा ज्वारा जाट निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–मोहनदास पिता लेहरूदास बैरागी निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–प्रहलाददास पिता लेहरूदास बैरागी निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–हीरादास पिता लेहरूदास बैरागी निवासी शिवनाथपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–बैक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम शिवनाथपुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में स्थित आराजी नम्बर 395 रकबा 1.62 है0 मे से उत्तरी पूर्व की ओर रकबा 0.20 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है और इस रकबे के अनुपात में वादीगण की आराजी नम्बर 394 रकबा 1.08 है0 मे से आराजी नम्बर 395 के उत्तरी पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर नाले के सहारे सहारे प्रतिवादीगण के कब्जे को मध्यनजर रखते हुए 0.20 है0 भूमि कमी की जाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जावे। और साबिक नक्शे और मौके को ध्यान में रखते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 05.08.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

5-8-2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.24 14:35:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: